## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः **आशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 910–तीन/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.6.04 पारित द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 252/अ–70/02–03 .

---

1– राज कुमार तिवारी तनय भगवान दास तिवारी
2– टीकाराम कुशवाह तनय कडोरा कुशवाह
3– श्रीमती उर्मिला पत्नि संतोष कुशवाह
निवासीगण ग्राम तिलगुंवा तहसील व
जिला पन्ना म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरूद्ध

1– सुरेन्द्र कुमार तिवारी पिता अनंत तिवारी
नगर पालिका परिषद पन्ना म0प्र0
2– मध्यप्रदेश शासन ---- अनावेदकगण

.....

श्री अनिल चौबे अधिवक्ता आवेदकगण
श्री अजय श्रीवास्तव अधिवक्ता क0–1
शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं

---

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 10 – 12 – 2015)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 252/अ–70/2002–2003 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21.6.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2– अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक क–1 ने तहसीलदार पन्ना के समक्ष म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि टीकाराम कुशवाह आवेदक क0 2 ने ग्राम तिलगंवा स्थित भूमि सर्वे कमांक 877 रकबा 0.814 है0 के दक्षिण दिशा के हिस्से से पूर्व से पश्चिम की रोड बनाने के लिये बोल्डर व मिटटी डालकर कब्जा कर लिया है जबकि शासकीय अभिलेख में दक्षिण दिशा में रास्ता दर्ज नहीं है इसलिये अतिकमण हटाया जावे। तहसीलदार पन्ना ने प्र0क0 2/अ–70/98–99 दर्ज किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 2.1.2000 पारित किया तथा टीकाराम सरपंच द्वारा आवेदक की ग्राम तिलगंवा स्थित भूमि सर्वे क0 877 के अंश भाग 1.55 कड़ी 6 भूमि पर से निर्माण हटाने के आदेश दिये ।

3– तहसीलदार के उक्तादेश के विरूद्ध आवेदक कमांक–2 एवं 3 ने अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के समक्ष अपील कमांक 24/अ–70/99–2000 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 13.12.2000 से विलंब के आधार पर अपील निरस्त कर दी गई । इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर जिला पन्ना के समक्ष निगरानी कमांक 116/2000–01 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 27.11.2000 से निगरानी निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष एक वर्ष 6 माह बाद निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 252/अ–70/2002–2003 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21.6.2004 से विलंब के आधार पर निगरानी निरस्त की गई इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

4– विचाराधीन प्रकरण में देखना है क्या आयुक्त, सागर संभाग सागर ने आदेश दिनांक 21.6.04 से विलंब के आधार पर निगरानी निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि की है? आयुक्त सागर संभाग सागर ने आदेश दिनांक 21.6.04 के पद 5 में अंकित किया है कि निगरानीकर्ता पक्ष द्वारा ही कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में निगरानी क0 116/2000–01 दायर की गई थी। निगरानी पक्ष व उनके अभिभाषक सूचना होते हुये भी दिनांक 12.11.2001 से लगातार कलेक्टर न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता अनपस्थिति व उदासीनता का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है ।

**भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) –धारा–47 – प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया–विलम्ब का पर्याप्त कारण सावित नहीं किया गया–विलम्ब मांप नहीं किया जायेगा । गेदावरी वाई बनाम विमलावाई 1989 रा0नि0 243 पैरा 6,7,8 से अनुसरित.**

आयुक्त, सागर संभाग , सागर के समक्ष निगरानी एक वर्ष छै माह के बाद प्रस्तुत हुई है । आयुक्त द्वारा उक्त विलम्ब को क्षमा न करने के पर्याप्त कारण दर्शाए हैं जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.6.2004 में निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5–उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 252/अ–70/2002–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21.6.2004 विधिवत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है ।

( आशीष श्रीवास्तव )

सदस्य

राजस्व मण्डलमध्यप्रदेश ग्वालियर